

REGISTRATION CERTIFICATE
CHHATTISGARH PARAMEDICAL COUNCIL



Under Chhattisgarh Paramedical Council Act 2001 Registration Section 34 (1) Chhattisgarh State
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THIS IS A TRUE COPY OF THE ENTRY OF THE SPECIFIED NAME IN THE PARAMEDICAL REGISTER.

Reciprocal Registration No. 872 Schedule No. 04

NAME OF TECHNICIAN Ranu

FATHER'S NAME Shri Chhotelal

ADDRESS ग्राम - माथमौर कुवारपुर
तहो - भरतपुर जिला - कोरिया (छत्तीसगढ़)

Originally Registered in Nid Paramedical Council New Delhi NOC क्रमांक/अनापत्ति/पंजीवन - 3742/2
दिल्ली, दिनांक 25/02/2020 प्राप्ति दिनांक 02.03.2020

QUALIFICATION *Diploma Medical Lab. Technician*

Delhi. Paramedical Council Registration No. SCH-27 / DIP / 38110/2019 (Valid as per Delhi Paramedical Council Registration)

DATE OF REGISTRATION

25 MAR 2020



Dr. Jitendra Tiwari
Registrar & Secretary
PARAMEDICAL COUNCIL
C.G. RAIPUR

Every registered paramedical person shall be careful to send the Registrar immediate notice of any change in his / her address and also to ans

Every registered paramedical person shall be careful to send the Registrar immediate notice of any change in his / her address and also to ans

कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला-कोरिया (बैकुण्ठपुर) छत्तीसगढ़

Phone No. - 07836- 233587 / 232324, E-Mail- dpmu.korea@gmail.com & cmbokorea@gmail.com Fax No. - 07836- 232994

क्रमांक / 190 / एन.एच.एम. / 2020

बैकुण्ठपुर, दिनांक 6-8-2020

आदेश

संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर का पत्र क्रमांक/संघा.स्वा.से./स्टेनों/457 नवा रायपुर, दिनांक 01.07.2020 के माध्यम से राज्य आपदा मोचन निधि से जिले में कोविड-19 के संक्रमण से रोकथाम, नियंत्रण एवं आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए संविदा नियुक्ति हेतु कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया छ0ग0 के विज्ञापन क्रमांक/1192/एन.एच.एम./2020 बैकुण्ठपुर, दिनांक 21.07.2020 द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया गया, जिसके आधार पर आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से कार्य पर उपस्थिति दिनांक से 03 माह के लिये कोरिया जिले में उनके नाम के सन्मुख दर्शित स्वास्थ्य संस्था में संविदा रिक्त पदों पर मेरीट सूची से चयन कर निर्धारित शर्तों के तहत नियुक्ति की जाती है।

क्र.	आवेदक का नाम	पिता / पति का नाम	लिंग/पुरुष	जाति (वर्ग)	व्यवस्था (वर्ग)	पदनाम	एकमुश्त मासिक मानदेय	शिकाराखण्ड	पदस्थापना स्थल
1	रानू	श्री छोटेलाल	महिला	अना.	अनारक्षित	लैब टेक्नीशियन	14000/-	भरतपुर	कियोस्क सेंटर जनकपुर

नियुक्ति शर्तें

1. सभी पद पूर्णतः अस्थायी है, पदस्थापना नियुक्ति तिथि से आगामी 03 माह हेतु किया जावेगा।
2. संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय व अन्य राशि प्रावधानित अनुसार देय होगी, इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।
3. संविदा नियुक्ति तीन माह के लिये की जा रही है इसके उपरांत आवश्यकतानुसार सेवा अवधि बढ़ाये जाने का निर्णय जिला स्वास्थ्य समिति कोरिया द्वारा ली जावेगी।
4. आदेश जारी होने के दिनोंक से 03 दिवस के अंदर पदस्थापना हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय बैकुण्ठपुर जिला कोरिया में अपनी उपस्थिति देवे अन्यथा यह आदेश स्वयंमेव निरस्त माना जावेगा।
5. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नियमानुसार कार्यरत कर्मचारियों को अवकाश की पात्रता होगी।
6. सेवा समाप्ति पश्चात संविदा शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
7. चयनित अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
8. कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात नियुक्त कर्मचारी को पदस्थापना स्थल पर ही मुख्यालय बनाकर निवास करना होगा, किसी भी परिस्थिति में मुख्यालय के अतिरिक्त अन्यत्र स्थानों से आना-जाना अनुमत्य नहीं होगा तथा ऐसा पाये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
9. संविदा नियुक्ति आदेश जारी होने पर संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को प्रथम नियुक्ति स्थल एवं पदस्थापना उपरांत किसी अन्य स्थल/पद पर स्थानांतरण मात्र से कोई नवीन करार निष्पादित करना आवश्यक नहीं होगा।
10. संविदा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी की सेवा एक माह के पूर्व सूचना या एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। यह शर्त दोनों पक्ष पर लागू होगी।
11. संविदा अवधि में किसी प्रकार का धरना/हड़ताल में जाने की अनुमति नहीं होगी, धरना/हड़ताल करने पर नौकरी से वंचित करने का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी को होगा।

BeL

